

दिनांक 14-11-19

अर्थात् वरपर

दिनांक 14-11-19

आज पत्रावली पेश हुई है। वकील... अर्थात्  
पक्ष उपस्थिति। ... के. साहब निर्वाचन  
कार्य में व्यस्त है। पत्रावली पूर्वानुसार  
दिनांक ..... को पेश हो।

13-12-19

दिनांक 13-12-2019

आज पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी व उनके वकील को बार बार  
आवाज दिलाई गयी किन्तु कोई भी उपस्थित नहीं है। इसके  
अलावा प्रार्थी की ओर से यह प्रार्थना पत्र दिनांक 17-06-2016  
को प्रस्तुत किया गया किन्तु अप्रार्थी संख्या 1 के अलावा अन्य  
की तलबी हेतु तलबाना सम्मन प्रस्तुत नहीं किये गये है। इससे  
ऐसा प्रतीत होता है कि प्रार्थी अपने पार्थना पत्र अस्थायी  
निषेधाज्ञा के प्रति गंभीर नहीं है तथा प्रार्थना पत्र को चलाना  
नहीं चाहता है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा अदम हाजरी  
द्व अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। प्रार्थी के पक्ष में  
जारी अन्त. अस्थायी निषेधाज्ञा दिनांक 28-06-2016 निरस्त की  
जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर शामिल मूल वाद रहे। ह  
आदेश सुनाया गया।

उपअण्ड अधिकारी  
महवा (अधिस दौडा)